न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-डिक्री 392/2016
पंजीयन दिनांक 29.09.2016

(1). मांगीलाल पिता हीरा जाति भील निवासी झोपड़िया तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़।
(2). सोहनी पत्नी मांगीलाल जाति भील निवासी झोपड़िया तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़।

-अपीलांट्गण

बनाम

(1). गुलाब सिंह पिता अमर सिंह जाति राजपूत निवासी गुडडा खेड़ा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़।
(2). राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़।
(3). सरपंच सचिव ग्राम पंचायत बलकुण्डी तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़।

-रेस्पोडेन्ट्गण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा
प्रकरण संख्या 37/2008 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.05.2016

उपस्थित वक्त बहस-(1). खूमराज कुमावत-अधिवक्ता अपीलांट
(2). शांतिलाल बसेर- रेस्पोडेन्ट संख्या 1
(3). पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 2

निर्णय

दिनांक 25.08.2022

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण अपीलांट्गण ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 183, एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा अमरपुरा तहसील रावतभाटा की साबिक आराजी संख्या 51 रकबा 5 बीघा जिसके

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

पाईश के बाद नवीन आराजी संख्या 229 रकबा 0.74 हैक्टेयर दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त वर्णित साबिक आराजी संख्या 51 रकबा 5 बीघा वादीगण अपीलांट्गण को दिनांक 17.06.1992 को आवंटन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा द्वारा आवंटित की गई थी। आवंटन दिनांक से ही वादीगण अपीलांट्गण उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हे। उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात का नवीन भू-प्रबन्ध के दौरान भू-प्रबन्ध अधिकारियों व कर्मचारियों ने संहवन व त्रुटिवश उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात को आबादी हेतु आरक्षित कर उक्त आराजीयात नवीन आराजी सख्या 229 दर्ज रेकॉर्ड कर दी जबकि उक्त वर्णित आवंटन शुदा कृषि आराजी आबादी भूमि नहीं होकर कृषि भूमि है । साथ ही भू-प्रबन्ध अधिकारियों व कर्मचारियों ने वादीगण अपीलांट्गण को आवंटित उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजी संख्या 51 रकबा 5 बीघा के स्थान पर आराजी संख्या 229 रकबा 0.74 हैक्टेयर दर्ज कर दिया अर्थात साबिक रकबा 5 बीघा के स्थान पर 3.5 बीघा दर्ज रेकॉर्ड कर दिया। अन्त मे वादीगण अपीलांट्गण की आवंटन शुदा आराजीयात साबिक आराजी संख्या 51 रकबा 5 बीघा के भू-प्रबन्ध के उपरान्त दर्ज नवीन आराजी संख्या 229 को वादीगण अपीलांट्गण की खातेदारी की घोषित की जाकर भू-प्रबन्ध के पूर्वानुसार रकबा 5 बीघा कायम किये जाने का निवेदन किया साथ ही वादीगण अपीलांट्गण की कब्जे काश्त की उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात पर प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा नाजायज कब्जा कर लिया है जिसे बेदखल किया जाकर कब्जा पुनः वादीगण अपीलांट्गण को सुपुर्द किये जाने का निवेदन किया।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्गण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्गण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पत्रावली मे जवाबदावा मय विशेष कथन प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। दिनांक 25.03.2014 को पत्रावली वास्ते कायमी तनकीयात नियत की गई जिसके लिये आगामी तारीख पेशी दिनांक 21.04.2014 नियत की गई। दिनांक 18.05.2016 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प मुकाम देवपुरा मे रखी जाकर उक्त वर्णित विवादित आराजीयात को आबादी भूमि होना बताकर वादीगण अपीलांट्गण की ओर से वांछित अनुतोष बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रदान करने का अधिकार सिविल न्यायालय को होना बताकर प्रस्तुत वादपत्र सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होना बताकर वादपत्र खारिज किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट्गण वादीगण ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपीलांट्गण वादीगण द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अपील के साथ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की।

न्यायाहित मे प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र स्वीकार किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की जाति है।

अधिवक्ता अपीलांट्गण वादीगण ने अपील के विचाराधीन रहते हुए प्रार्थना-पत्र आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना-पत्र का रेस्पोडेन्ट्गण की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत नही किया जाकर प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियां होने से रेकॉर्ड पर ली जाती है।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्गण वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्गण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्गण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पत्रावली मे जवाबदावा मय विशेष कथन प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। दिनांक 25.03.2014 को पत्रावली वास्ते कायमी तनकीयात नियत की गई जिसके लिये आगामी तारीख पेशी दिनांक 21.04.2014 नियत की गई। इस प्रकार पत्रावली वास्ते कायमी तनकीयात नियत थी । पत्रावली मे प्रस्तुत दावे व जवाबदावे के अनुसार तनकीयात विरचित की जाना आवश्यक था परन्तु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा बिना तनकीयात कायम किये दिनांक 18.05.2016 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प मुकाम देवपुरा मे रखी जाकर उभय पक्षकारान के मध्य बिना सहमति व बिना किसी लिखित राजीनामे के उक्त वर्णित विवादित आराजीयात को आबादी भूमि होना बताकर वादीगण अपीलांट्गण की ओर से वांछित अनुतोष बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रदान करने का अधिकार सिविल न्यायालय को होना बताकर प्रस्तुत वादपत्र सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होना बताकर वादपत्र खारिज किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो लोक अदालत

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

भावना के विपरीत होने व सिविल प्रकिया संहिता के अनिवार्य प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात आराजी संख्या 51 रकबा 5 बीघा दिनांक 17.06.1992 को वादीगण अपीलांट्गण को आवंटित की गई जिसे नवीन भू-प्रबन्ध के दौरान ग्राम पंचायत को आबादी हेतु आरक्षित किया जाकर नवीन आराजी नम्बर 229 दर्ज रेकॉर्ड किये जिसमे साबिक रकबा 5 बीघा के बजाय 3.5 बीघा दर्ज रेकॉर्ड किया गया। उक्त आराजीयात पर रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 का अवैध कब्जा होने से अपीलांट्गण वादीगण द्वारा उसके विरूद्ध बेदखली की दाद चाही गयी है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से प्रस्तुत जवाबदावे मे उक्त वर्णित विवादित आराजीयात को पूर्व मे कभी भी ग्राम पंचायत की आबादी भूमी मे नहीं होकर खातेदारी रेकॉर्ड मे कृषि भूमी के रूप मे दर्ज होना बताकर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात पर वादीगण अपीलांट्गण द्वारा काबिज काश्त होना स्वीकार किया है। तथा रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा उक्त वर्णित विवादित आराजीयात को पुनः कृषि भूमि घोषित कर वादीगण अपीलांट्गण की खातेदारी मे दर्ज किये जाने का निवेदन किया। परन्तु रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 3 के उक्त कथन को नजरअंदाज करते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण अपीलांट्गण की आवंटनशुदा उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात को बिना किसी आधार पर आबादी भूमि होना मानकर प्रस्तुत वादपत्र को स्वयं के क्षेत्राधिकार का नहीं होना बताकर वादपत्र खारिज किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत नहीं होने से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। अन्त मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री एवं संशोधित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्गण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्गण वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्गण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्गण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पत्रावली मे जवाबदावा मय विशेष कथन प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। दिनांक 18.05.2016 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प मुकाम देवपुरा मे रखी जाकर उभय पक्षकारान के अभिवचनों पर सुनवाई करते हुए उक्त वर्णित विवादित आराजीयात वर्तमान मे आबादी हेतु आरक्षित भूमि के रूप मे दर्ज रेकॉर्ड होने एवं वादीगण अपीलांट्गण की ओर से उक्त वर्णित आबादी भूमि के संबंध मे वांछित अनुतोष बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रदान करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होने

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

वादीगण अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं होने से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत होने से प्रस्तुत अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है। अन्त मे अपील अपीलान्टगण वादीगण अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

राजकीय अधिवक्ता प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होना बताते हुए अपीलांटगण वादीगण द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांटगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पत्रावली मे जवाबदावा मय विशेष कथन प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। दिनांक 25.03.2014 को पत्रावली वास्ते कायमी तनकीयात नियत की गई जिसके लिये आगामी तारीख पेशी दिनांक 21.04.2014 नियत की गई। इस प्रकार पत्रावली वास्ते कायमी तनकीयात नियत थी। पत्रावली मे प्रस्तुत दावे व जवाबदावे के अनुसार तनकीयात विरचित किया जाना आवश्यक था परन्तु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा बिना तनकीयात कायम किये दिनांक 18.05.2016 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प मुकाम देवपुरा मे रखी जाकर उभय पक्षकारान के मध्य बिना सहमति व बिना किसी लिखित राजीनामे के उक्त वर्णित विवादित आराजीयात को आबादी भूमि होना बताकर एवं वादीगण अपीलांटगण की ओर से वांछित अनुतोष बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रदान करने का अधिकार सिविल न्यायालय को होना बताकर प्रस्तुत वादपत्र सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होना बताकर वादपत्र खारिज किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो लोक अदालत की भावना के विपरीत होने व सिविल प्रकिया संहिता के अनिवार्य प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा प्रकरण संख्या 37/2008 निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2016 निरस्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्षकारान को सुनवाई

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

समुचित अवसर प्रदान करते हुए, न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर तनकीयात कायम की जाकर , आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दीवानी की पालना करते हुए गुणावगुण पर, तनकीवार, अजसरे नवनिर्णय पारित करें। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 21.09.2022 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)